

प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक :- 03.07.2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 95/2022 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक फावड़ा बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2022 को थाना बालैनी पर श्री विकास पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसके चाचा श्री श्यामवीर पुत्र सुखवीर उम्र करीब 45 वर्ष की रात्रि में घेर में सोते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 95/2022 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक फावड़ा बरामद हुआ है ।

### पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रपाल ने पूछताछ पर बताया कि मेरा मृतक श्यामवीर पुत्र सुखवीर व मृतक की पुत्री से रुपये के लेन देन का विवाद था। जिसके कारण मेने रात्रि में सोते समय इन्द्रपाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम मवीकला की फावडे से हत्या कर दी ।

नोट:- उक्त घटना के सफल अनावरण में डॉग स्क्वाड द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई , जिसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा डॉग स्क्वाड प्रभारी का0 223 शकील अहमद व डॉग इंडोफोर्ट को पुरस्कृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- इन्द्रपाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर आला कत्ल एक फावडा ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0 नि0 श्री विरजा राम थाना बालैनी जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-का0 809 शिवकुमार सोलंकी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5-का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

## प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब OFFICER CHOICE BLUE विहसकी दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- हर्ष शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा निवासी ग्राम कंहेड़ी थाना चरथावल मुजफ्फरनगर ।
- 2- मनोज पुत्र मंगल निवासी ग्राम मोर माजरा थाना भवन जनपद शामिली ।



## बरामदगी का विवरण-

- 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब OFFICER CHOICE BLUE विहसकी दिल्ली मार्का ।

- तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल डिस्कवर नं0 UK- 08AB- 4629

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- आबकारी निरीक्षक श्री अजय कुमार क्षेत्र प्रथम बागपत ।
- 2- उपनि0 श्री विकास चौहान कोतवाली बागपत ।
- 3- है0का0 आबकारी अरविन्द कुमार आबकारी टीम ।
- 4- है0का0 अश्वनी कुमार आबकारी टीम ।
- 5- का0 351 रोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6- का0 732 रोबिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 740/21 धारा 323/325/504 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.08.2021 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रामभूल पुत्र मुन्शी नि0 गांव मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. महेश पुत्र नन्द किशोर 2. सुरेन्द्र पुत्र तेजी 3. मनीष पुत्र सुरेन्द्र 4. अंकित उर्फ काला पुत्र सुरेन्द्र निवासीगण गांव मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 740/21 धारा 323/325/504 भादवि में पंजीकृत किया गया था ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 740/21 धारा 323/325/504 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-महेश पुत्र नन्दकिशोर निवासी गांव मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मनीष पुत्र सुरेन्द्र निवासी गांव मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री हरिजेश कुमार कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 324 बेअन्त सिंह थाना कोतवाली बागपत।